समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 03-04-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) माननीय उच्च न्यायालय :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि श्री रामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-18012 /16 के तहत् माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, जो स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा कार्यालय से सेवानिवृत हुए है, परन्तु सेवान्त आदि लाभ का नियमानुसार भुगतान नहीं होने के कारण उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, फलस्वरूप प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु जिलाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी द्वारा संबंधित संचिका उपस्थापित की गयी, तत्पश्चात् पाया गया कि उक्त मामले में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने के फलस्वरूप व्यक्तिगत उपस्थिति का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा की खोज की गयी, परन्तु वे अनुपस्थित पाये गये। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वे अवकाश में है, जबकि अवकाश हेतु उच्चाधिकारी से बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही मुख्यालय से अनुपस्थित होना कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में कई तिथियों के पड़ने के बावजूद पूरक प्रति शपथ-पत्र दायर नहीं करने एवं सोमवारीय बैठक से बिना अनुमति /सूचना के अनुपस्थित रहने के निमित्त स्पष्टीकरण पूछा जाए कि क्यों नहीं सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता बरतने के आरोप में उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग को अनुसंशा की जाय। कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक दिनांक-03-04-2017 का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।

(4) आंतरिक संसाधन :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आंतरिक संसाधन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। विभागवार निम्न प्रकार समीक्षा की गयी :-

राष्ट्रीय बचत :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेशित किया गया कि डाटा प्राप्त कर अविलम्ब संसूचित करें।

कृषि :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 10 लाख रू0 का लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 99 हजार रू0 की वसूली हुई है। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में खेद प्रकट किया गया एवं पृच्छा की गयी कि इतनी कम राजस्व की वसूली क्यों की गयी है, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी।

भूमि विकास बैंक :- समीक्षा के क्रम में भूमि विकास बैंक द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेशित किया गया कि डाटा प्राप्त कर अविलम्ब संसूचित करें।

परिवहन :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी अवकाश में है, अतएव निदेशित किया गया कि डाटा प्राप्त कर आगामी बैठक में संसूचित करें।

इसी प्रकार वन, माप-तौल, नगर परिषद्, मधेपुरा, नगर पंचायत, मुरलीगंज, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज, त्रिवेणीगंज, राघोपुर, खनन आदि के संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आंतरिक संसाधन के अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त वसूली के संबंध में डाटा प्राप्त कर आगामी बैठक में संसूचित करें।

(5) राजस्व :-

दखल देहानी :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मधेपुरा-73 तथा आलमनगर में 5 दखल देहानी का मामला लंबित है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व निष्पादन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

अतिक्रमण :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभिन्न जगहों से कुल 828 अतिक्रमण हटाया गया है। यह भी बताया गया कि घैलाढ़, गम्हरिया, कुमारखण्ड के सड़क पर अवस्थित अतिक्रमण को हटा दिया गया है। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि इस आशय का प्रमाण-पत्र समर्पित करें। यह भी निदेशित किया गया कि संबंधित थाना में इस आशय का सनहा दर्ज करावें। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से भ्रमण कर इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए कि शत-प्रतिशत अतिक्रमण हटा दिया गया है अथवा नहीं।

लोक भूमि का अतिक्रमण :- समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि लोक भूमि का अतिक्रमण हेतु अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि यह पता चल सके कि किसी के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर जोत तो नहीं रहा है, अतएव इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से आगामी बैठक में अवगत करावें।

(6) कृषि इनपुट सब्सिडी :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण नियमानुसार करा दिया गया है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है या नहीं, तो बताया गया कि अभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं की गयी है। निदेशित किया गया कि अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा जाए।

(7) स्वच्छ भारत मिशन :-

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि आलमनगर में-04, चौसा-3, घैलाढ़-6, कुमारखण्ड-6, मधेपुरा-22, मुरलीगंज-7, पुरैनी-5, शंकरपुर-3, सिंहेश्वर-8 ओ0डी0एफ0 हुआ है। जबकि बिहारीगंज एवं गम्हरिया में इस सप्ताह में एक भी ओ0डी0एफ0 घोषित नहीं हुआ है।

इसी प्रकार ग्वालपाड़ा-31 प्रतिशत, कुमारखण्ड-82 प्रतिशत, मुरलीगंज-22 प्रतिशत, शंकरपुर-48 प्रतिशत, सिंहेश्वर-26 प्रतिशत, उदाकिशुनगंज-67 प्रतिशत आदि व्यय होने की बात बतायी गयी। निदेशित किया गया कि नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करावें तथा अनुपालन से आगामी बैठक में अवगत करावें।

समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड, पुरैनी, शंकरपुर एवं चौसा द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में जिन कार्यपालक सहायक का पदस्थापन हुआ था, वे अभी तक योगदान नहीं किए हैं। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब संबंधित कार्यपालक सहायक का नाम सूची से हटाने की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करें एवं अनुपालन से आगामी बैठक में अवगत करावें। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि संबंधित कार्यपालक सहायक के स्थान पर दूसरे कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति /पदस्थापन हेतु अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

इसी प्रकार अंचलाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में भी एक कार्यपालक सहायक योगदान नहीं किए है, जबकि कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में एक कार्यपालक सहायक त्याग पत्र दे दिये है। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि बेलट्रॉन से चार कम्प्युटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, परन्तु उन्हें वापस कर दिया गया है, जबकि कार्यालय में कम्प्युटर ऑपरेटर के नहीं रहने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रहा है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(8) इंदिरा आवास :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इंदिरा आवास के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप आवास के निर्माण कार्य में काफी शिथिलता बरती जा रही है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

इसी प्रकार मनरेगा शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कार्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो पा रही है।

(9) कन्या विवाह :-

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सामान्य घटक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित किया जा चुका है। बताया गया कि कोषागार, मधेपुरा में फेसिलेशन नहीं होने के कारण कुछ राशि की निकासी नहीं हो पायी है। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी कि जब विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी, तो उसकी नियमानुसार निकासी ससमय क्यों नहीं की गयी तथा इसके लिए दोषी कौन है, इस संबंध में सूचित करने का निदेश दिया गया।